

संख्या: 142- अत-17/पाकालि/2006-11/40/रोरत0/2002 दिनांक: 17 जनवरी, 2006

कार्यालय - झाप
=====

एतद्वारा उ0प्र0 वायु कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आदेशा संख्या-1520-
अत-17/पाकालि/2004-11/40/रोरत0/2002, दिनांक 02.4.2004 को
संशोधित करते हुए उ0प्र0 वायु कॉर्पोरेशन लि0, के सेवारत/सेवानिवृत्त
कार्मिकों के मानांक/शासित रूप से विधायित/विकलॉग आश्रितों हेतु चिकित्सा
व्यय का प्रातिपूर्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु तामा 35 वर्ष को इस
प्रातिबन्धा के साथ समाप्त किया जाता है कि प्रातिपूर्ति के पूर्व यह तुनीयचत
किया जायेगा कि सम्बन्धित व्यक्त को चिकित्सा भा श्रोत से आय अर्जित करने
का कोई संसोधन नहां है ।

निदेशाक मण्डल का आज्ञा से

निदेशाक कार्मिक प्रबन्धान एवं प्रशासन

संख्या: 142- अत-17/पाकालि/2006-तदादिनांक ।

उपरोक्त का प्राति निम्नालिखित को चुनार्थि सम्य आक्षयक कार्यावाही
हेतु प्रेषित :-

- 1- मा0 ऊर्जा मन्त्रा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निजा सचिव ।
- 2- प्रमुखा सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, वापू भवन, लखनऊ ।
- 3- आयुक्त सम्य सचिव विकलॉग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को
उनके अध्यापिकाय पत्र संख्या-103-आ0वि0क0, दिनांक 10.5.2005 के
अनुक्रम से ।
- 4- प्रबन्धा निदेशाक, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल,
भरठ/दक्षिणांचल, अमरा ।
- 5- मुख्य आधायन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 वायु कॉर्पोरेशन लि0 ।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉय समिते-प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 वायु
कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
- 7- समस्त मुख्य महाप्रबन्धाक/महाप्रबन्धाक, उ0प्र0 वायु कॉर्पोरेशन लि0 ।
- 8- समस्त उप महाप्रबन्धाक/आधायन्ता आधायन्ता/वारेष्ठ कार्मिक आधायन्ता/
कार्मिक आधायन्ता, उ0प्र0 वायु कॉर्पोरेशन लिमिटेड ।
- 9- कम्पना सचिव, उ0प्र0 वायु कॉर्पोरेशन लि0, शासित भवन, लखनऊ को
उनके पत्र संख्या-03/पाकालि-वेठक/59/2006, दिनांक 04.1.2006 के
सन्दिर्भा से ।
- 10- मुख्य चिकित्सा आधायन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शासित भवन, लखनऊ ।
- 11- अनुसचिव (कां0वि0सो0), उ0प्र0 वायु कॉर्पोरेशन लि0, शासित भवन,
लखनऊ ।
- 12- समस्त अनुभाग आधायन्ता/निजा सचिव प्रशासनिक सम्य लेखा स्कन्धा
उ0प्र0 वायु कॉर्पोरेशन लिमिटेड ।
- 13- सचिव, विद्युत पेशानर्त कार्याद, 103 कांते शोखार अपार्टमेंट, 22 -
स्टेशन रोड, लखनऊ ।
- 14- कट काइल ।

आज्ञा से,